



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1994/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, Banswara ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन सचिव स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 30/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 22-11-16 राज्य लोक सूचना अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को प्रस्तुत कर, माह फरवरी, 2012 में कुल कितनी प्रथम अपीलों धारा 19 के अन्तर्गत प्राप्त हुई, कितनी अपीलों का निपटारा किया गया, कितनी बकाया रही के सम्बन्ध में रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया था। निवेदित सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27-12-16 के साथ सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त सूचना संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी कि सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 9-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के क्रम में प्रभारी मोनेटरिंग के यू.ओ.नोट दिनांक 13-12-16 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है जिसमें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं है।
7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 18-4-18 सूचना के आवेदन दिनांक 22-11-16 के अनुक्रम में प्रेषित किया है जिसमें अंकित किया है कि सूचना का आवेदन

प्रत्यर्थी के विभाग के कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

8. प्रतिक्रिया में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया किसी अन्य सूचना के आवेदन के क्रम में है, जबकि हस्तगत अपील में प्रस्तुत सूचना के आवेदन की दिनांक भी 22-11-16 है जिसके साथ पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 052617 संलग्न कर प्रस्तुत किया है जो कि हस्तगत अपील के रूप में आयोग में दर्ज हुआ। उक्त अपील के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भेजे गये पत्र दिनांक 27-12-16 में प्रत्यर्थी द्वारा अंकित किया है कि सूचना का आवेदन प्रश्नात्मक है, अतः देय नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपीलोत्तर दिनांक 9-4-18 एवं अपीलार्थी की प्रतिक्रिया दिनांक 18-4-18 भिन्न भिन्न है। प्रतिक्रिया का सम्बन्ध हस्तगत अपील से नहीं है।

9. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रेषित विनिश्चय दिनांक 27-12-16 विधिसंगत नहीं है। चाही गई सूचना प्रश्नात्मक सूचना की श्रेणी में नहीं आती है।

10. प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को विनिश्चय/ सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

11. अस्तु, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

12. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त